प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू.पी.(एस) नं. 2008 का 5044

याचिकाकर्ता आलोक अग्रवाल एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

5 जनवरी, 2009 को सूचीबद्ध करें I

हस्ता./-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

05.01.2009

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5044/2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

याचिकाकर्ता 1. आलोक अग्रवाल

(क्र.150291)

2. हृषिकेश प्रसाद (क्र.149950)

पुत्र श्री एस.एम. प्रसाद

3. संतोष अग्रवाल

पुत्र स्व. राम दास अग्रवाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी कर्मचारी;भिलाई इस्पात संयंत्र,

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

लिमिटेड, भिलाई नगर, तह. एवं

जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरदातागण 1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

द्वारा अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली I

2. प्रबंध निदेशक, भिलाई स्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी

ऑफ़ इंडिया लिमिटड, इस्पात भवन,

भिलाई नगर, तह. 6आई जिला, दुर्ग (सीजी)

उपस्थित:

श्रीमान व्ही.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ।

श्री पी. दिवाकर, विद्वान् अधिवक्ता साथ में श्री के. शकील, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(5 जनवरी 2009 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्र, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता भिलाई स्टील प्लांट के अ-कार्यकारी कर्मचारी हैं, जो स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में सेल) की सहायक कंपनी है - प्रतिवादी क्र. 1। रिट याचिका संख्या-559/96, 1749/96 और 4269/96 को इस न्यायालय द्वारा 16 जुलाई, 2007 के सामान आदेश के द्वारा निराकृत किया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं को पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर एक महीने के भीतर एक विस्तृत आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें आज तक अ-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में पद्दोन्नत नंही किया गया है

। दिनांक 21 सितंबर, 2007 के आदेश के अंतर्गत , उत्तरदाताओं को दिनांक 16.7.2007 के आदेश के अनुपालन के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था।

2. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने परिपत्र दिनांक 18.7.2008 (अनुलग्नक पी/12) को आक्षेपित किया है, जिसके अंतर्गत सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में कनिष्ठ अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र; अ-कार्यकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और चयन प्रक्रिया के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बाद लिखित परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री व्ही.जी, तामस्कर नें कथन किया कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि अ-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए वर्तमान पदोन्नति नीति के अनुसार, कोई लिखित परीक्षा निर्धारित नहीं की गई थी, यह इस संबंध में अ-कार्यकारी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं में पारित विभिन्न आदेशों (अनुलग्नक पी/4 से पी/9) से स्पष्ट होगा। आदेश दिनांक 16.7.2007 (अनुलग्नक पी/1) के अनुपालन में, जो उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पारित किया गया था, उत्तरदाता विद्यमान पदोन्नति नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार करने के लिए बाध्य थे। अनुबंध पी/12 का परिपत्र प्रतिवादी-कंपनी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव के समान है। सेवा शर्तों को केवल प्रतिवादी-कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और इसे पूर्व-निर्णय सुनवाई के बिना नहीं बदला जा सकता है।

4. आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य विरुद्ध, डॉ. आर. मुरली बाबू राव और अन्य[1] एच.एल. त्रेहान और अन्य विरुद्ध भारत संघ और अन्य[2] , और हेमानी मल्होत्रा विरिद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय[3] के प्रकरणों के निर्णयों का अवलेख किया गया I

5. दूसरी ओर, श्री दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री काशिफ शकील, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि प्रतिवादी क्र. 1 के पास भिलाई स्पात संयंत्र सहित पांच सएकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। इसमें तीन विशेष इस्पात संयंत्र, लौह अयस्क खदानें और अन्य खदानें एवं कोयला-खदानें तथा केंद्रीय विपणन संगठन हैं। उपरोक्त प्रतिष्ठान के अंतर्गत 1.2 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसकी सभी इकाइयों के लिए अ-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति की समान नीति है। पदोन्नति नीति 1988 से लागू थी। सेल के निदेशक मंडल ने 30 अक्टूबर, 2007 को अपनी बैठक में पदोन्नति नीति को स्वीकृति दी, जिसे 30 जनवरी, 2008 के अनुलग्न आर/1 के प्रलेखों के माध्यम से प्रसारित किया गया था। इसके बाद, अ-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए नियम बनाए गए और इसे 21 फरवरी, 2008 को अनुलग्न आर/2 के माध्यम से प्रसारित किया गया। विभिन्न इकाइयों से प्राप्त प्रस्तावों पर उचित विचार करने और संशोधनों को शामिल करने के बाद, नीति और नियमों में संशोधन दिनांक 6.5.2008 के अनुलग्न आर/3 के प्रलेख के माध्यम से प्रसारित किए गए। दिनांक 18.7.2008 के आक्षेपित परिपत्र के उत्तर में, 12,500 अ-कार्यकारी कर्मचारियों ने लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया था। दिनांक 16.7.2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) से उत्पन्न दो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (1988) 2 SCC 386
[2] (1989) 1 SCC 764

[3] (2008) 7 SCC 11

अवमानना याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। सेल के निदेशक मंडल की अनुमोदन के साथ अ-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति की नीति को बदल दिया गया है। उपरोक्त आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों को 1996 की पदोन्नति नीति के अनुरूप माना जाना चाहिए और रिट याचिका संख्या 4123/87 और 506/81 में याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति नीति को निरस्त करने की प्रार्थना की थी, यद्दपि, माननीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नीति में हस्तक्षेप नहीं किया।

6. 1988 की कार्यकारी संवर्ग में अ-कार्यकारियों को पदोन्नति देने की नीति के अनुसार, ई-ओ के पद के लिए साक्षात्कार में सफल होने वाले प्रत्याशियों को पद चयन परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है और ऐसे प्रत्याशियों को इसे उत्तीर्ण करने के लिए पांच अवसर दिए जाते हैं। रिट याचिकाएँ, जिनमें अनुलग्न पी/1 का आदेश पारित किया गया था, पदोन्नति की अनुतोष के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थीं और उन्हें नियुक्ति के अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, पदोन्नति के लिए उनके प्रकरणों पर दिनांक 8.12.2007 के आदेश के अंतर्गत विचार किया गया (अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन के उत्तर के साथ प्रस्तुत (अनुलग्नक ए/1)। वर्ष 2007 में प्रभावी पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी की जानी थी। 30 जून, 2008 से पदोन्नति को प्रभावी बनाया गया I चूंकि, अंतिम पद्दोंनती 30 जून, 2006 से प्रभावी की गयी और पदोन्नति दो वर्ष में एक बार की जा सकेगी। यह प्रावधान वर्तमान पदोन्नति नीति में भी विद्यमान है। याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति नीति को चुनौती नहीं दी है और इसलिए, पदोन्नति नीति की चुनौती के अभाव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा माँगा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। पदोन्नति नीति के अंतर्गत योग्यता, अनुभव और प्रदर्शन के पहलुओं को उचित महत्व दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्रीमान'. दिवाकर ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 16.7.2007 के आदेश के अनुपालन में 16.7.2007 को कार्यकारी संवर्ग में पात्र अ-कार्यकारी प्रत्याशियों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 3 को पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया गया जबकि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को 16.7.2007 को पात्र पाया गया और इसकी सूचना उन्हें अनुलग्नक ए/1 के माध्यम से दी गई। तीनों याचिकाकर्ता पहले ही पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं और ऐसे में उन्हें चयन प्रक्रिया को .विबंधित करने से रोका जाता है। किसी भी मामले में, पदोन्नति के लिए नीति सहित सेवा की शर्तों का निर्धारण नीति के क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे प्रकरणों में, आम तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं है। पदोन्नति देने के लिए पदोन्नति के समय प्रयोज्य नियम ही लागू होंगे न कि पूर्ववर्ती नियम।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पी. यू. जोशी और अन्य विरुद्ध. महालेखाकार, अहमदाबाद और अन्य[4] तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विरुद्ध शिव राम शर्मा एवं अन्य[5] के निर्णयों का अवलंम्ब किया गया I

9. मैंने सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

10. तीन रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए, दिनांक 16.7.2007 के आदेश के द्वारा, इस

[4] (2003) 2 SCC 632

[5] AIR 1999 BSC 2012

न्यायालय ने उत्तरदाताओं को पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों पर विचार करने का निर्देश दिया, जिन्हें आज तक अ-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नत नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं ने, दिनांक 8 दिसंबर, 2007 के आदेश (अनुलग्नक ए/1) के माध्यम से, अ-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों पर विचार किया और उन्हें बताया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाया गया, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को योग्य पाया गया। आगे यह बताया गया कि चूंकि पदोन्नति केवल वैकल्पिक वर्ष में की जानी है और पात्र कर्मचारियों को 30 जून, 2006 से पदोन्नत किया गया है,

और याचिकाकर्ताओं के अलावा, 1900 अन्य कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए विचार के पात्र हैं, इसलिए, ये पात्र कर्मचारी पदोन्नति नीति और उसके नियमों के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की अगली तारीख यानी 30 जून, 2008 को पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त निर्विवाद स्थिति के दृष्टि में रखते हुये , याचिकाकर्ताओं की यह व्यथा कि इस न्यायालय के निर्देशानुसार पदोन्नति के लिए उनके प्रकरणों पर विचार नहीं किया गया, तथ्यहीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ताओं ने अनुलग्न पी/12 के परिपत्र का विरोध किया है, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए अ-कार्यकारी कर्मचारियों से इस आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कि अ-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति की नीति प्रतिवादी कंपनी के कर्मचारियों की सेवा शर्त है और इसे केवल निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तरदाताओं की तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से, यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि पदोन्नति नीति को मंजूरी देने वाला एक प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर, 2007

(अनुलग्नक आर/8) के अंतर्गत पारित किया गया है। इसलिए, पदोन्नति नीति पर आपत्ति करने का उपरोक्त आधार याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर बल दिया है कि 16-7-2007 को वर्तमान पदोन्नति नीति के अनुसार, जब इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों पर विचार करने का निर्देश दिया था, तो कोई पदोन्नति नीति नहीं थी जिसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता थी। नीति में बाद में परिवर्तन, अनुलग्न पी/एल के अंतर्गत, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना किया गया, जबकि किसी औद्योगिक उपक्रम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्णय-पूर्व सुनवाई के बिना नहीं बदला जा सकता है और दोष को निर्णय के बाद की सुनवाई द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रकरण में, यह माना गया है कि पदोन्नति के प्रकरणों में, पात्र प्रत्याशियों के अनुसूची की तैयारी के समय एक प्रत्याशी की पात्रता, पैनल तैयार करने के समय प्रचलित नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई योग्यता और अनुभव के अनुसार निर्धारित की जानी है और पात्रता नियमों के बाद के संशोधन से प्रभावित नहीं होगी।

14. शासन द्वारा कैल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद एच. एल. त्रेहान के मामले में, सरकारी कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक परिपत्र निर्गमित किया, जिसके परिणामस्वरूप सिविल दायित्व में

परिणति हुए और उपरोक्त परिपत्र कर्मचारियों को निर्णय-पूर्व सुनवाई के बिना निर्गमित किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि आक्षेपित परिपत्र को यथावत नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है और निर्णय के बाद की सुनवाई प्राकृतिक न्याय के नियमों की पूर्ति नहीं करती है।

15. हिमानी मल्होत्रा मामले में, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा 16 रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा शामिल थी। लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। यधपि, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए और सफल उम्मीदवारों की कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की गई। जो उम्मीदवार साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें सूचित किया गया कि साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है। इस बीच, चयन समिति ने निर्णय लिया कि मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना वांछनीय है और मामले को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए और तदनुसार, पूर्ण न्यायालय ने मौखिक परीक्षा में भी न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह माना गया है कि चयन प्रक्रिया के समय या उसके समाप्त होने पर खेल के नियमों को बदलना स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पी.यू. जोशी के प्रकरण में. जोशी 4, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 10 में कहा है कि संविधान, कार्य-पद्दती, पदों के नामकरण, संवर्ग, श्रेणियों, उनके निर्माण/उन्मूलन, योग्यता के निर्धारण और सेवा की अन्य निबंधन से संबंधित प्रश्न, जिसमें पदोन्नति के रास्ते और ऐसी पदोन्नति के लिए पूरा किए जाने वाले मानदंड नीति के क्षेत्र से संबंधित हैं, यह

राज्य के विशेष विवेक और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, निःसंदेह, भारत के संविधान में परिकल्पित सीमाओं या प्रतिबंधों के अधीन है और न्यायाधिकरण इसके लिए नहीं है। वैधानिक न्यायाधिकरण, किसी भी मूल्य पर, सरकार को भर्ती की एक विशेष पद्धति या पात्रता मानदंड या पदोन्नति के मार्ग या राज्य के विचारों के स्थान पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने का निर्देश दे सकते हैं। आगे यह माना गया है कि किसी सेवा से संबंधित नियमों को बदलना और समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार योग्यता, पात्रता मानदंड और पदोन्नति के मार्ग सहित सेवा की अन्य शर्तों को जोड़ना या घटाना या बदलना या संशोधित करना पूरी तरह से खुला है और राज्य की क्षमता के भीतर है। राज्य के किसी भी कर्मचारी को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम हमेशा वही रहेंगे जो सभी उद्देश्यों के लिए सेवा में प्रवेश करते समय थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में, उत्तरदाता प्रश्नगत नियमों के प्रख्यापित होने से बहुत पहले ही सेवा में शामिल हो गए थे। पदोन्नति के लिए मैट्रिक की योग्यता का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद, राज्य ने पदोन्नति के लिए मैट्रिक की योग्यता निर्धारित करने वाले नियम प्रख्यापित किए और इस कारण से उत्तरदाता पदोन्नति से वंचित रह गए। उच्च न्यायालय ने संबंधित नियमों में ढील देने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को लाभ हुआ। राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उत्तरदाताओं के पास उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए मांग करने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है जिसके लिए योग्यता निर्धारित की जा सकती है और इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं है कि सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम सदैव उनके अनुकूल होंगे।

रोशन लाल टंडन विरुद्ध भारत संघ एआईआर 1967 एससी 1889 के प्रकरण में अपने पहले के निर्णय का सन्दर्भ देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह माना गया है कि एक बार नियुक्त होने के बाद किसी कर्मचारी को सेवा की शर्तों के संबंध में कोई निहित अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह एक विधिक-स्तर प्राप्त कर लेता है और इसलिए, अधिकार और दायित्व अब पक्षकारों की सहमति से निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा एकपक्षीय रूप से तैयार किया और बदला जा सकता है।

18. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अनुलग्नक पी/12 के परिपत्र को आक्षेपित किया, जिसके अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए एक नीतिगत निर्णय को परिचारित किया गया है, जिसके अंतर्गत योग्य अ-कार्यकारी कर्मचारियों को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16 7 2007 के निर्देशों के अनुसार कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता है, उत्तरदाताओं ने अ-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विधिवत विचार किया और याचिकाकर्ता क्र. 2 को विचार के लिए पात्र पाया गया। चूंकि 1900 अन्य कर्मचारी उपरोक्त पदोन्नति के लिए पात्र पाए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वर्तमान पदोन्नति नीति के अनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया गया था। अ-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चूंकि पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या अधिक है (सभी इकाइयों में 12,500 से अधिक और भिलाई इस्पात संयंत्र में 1900 से अधिक) तो उत्तरदाताओं ने पात्र उम्मीदवारों को संक्षिप्त-सूची-बद्ध करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। मेरी राय में उपरोक्त नीतिगत निर्णय, जो याचिकाकर्ताओं सहित सभी पात्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होता है, को इस तरह का नीतिगत निर्णय नहीं कहा जा सकता है जो याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

19. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को इस याचिका में कोई सार नहीं दिखता है, यह निरस्त करने योग्य है और तदनुसार निरस्त किया जाता है।

20. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ता/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
05.01.2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Ankita Shrivastava,

अनुवादक: अधिवक्ता, अंकिता श्रीवास्तव.